

• उपस्थिति :-

1. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री श्यामानन्द झा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर।
3. श्री रत्नेश कुमार, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
4. श्री संजय प्रियदर्शी, निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर।
5. मो0 अमजद अली, निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर।
6. डॉ0 रविन्द्र नाथ, प्रभारी पदा0 (बन्दोवस्त)-सह-जिला राजस्व शाखा, मुंगेर।
7. डॉ0 ईश्वरचन्द्र शर्मा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर।
8. श्री भानू प्रकाश, वरीय उपसमाहर्ता, मुंगेर।
9. डॉ0 आजाद शहाबुद्दीन, जिला परिवहन पदा0, मुंगेर।
10. श्री रविशंकर उरॉव, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विधि।
11. एहसान अहमद, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विकास शाखा, मुंगेर।
12. श्री विरेन्द्र कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी, नीलाम पत्र, मुंगेर।
13. श्री कुमार प्रशान्त, खास महाल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।
14. श्री राजेन्द्र दास, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर।
15. श्री अनिल राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर।
16. श्री ज्ञानेश्वर प्रकाश, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर।
17. श्री कुमार प्रेमनाथ, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
18. श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर।

• अवकाश अथवा अन्य विशेष कारण से अनुपस्थित पदाधिकारी :-

19. श्री आलोक कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मुंगेर।
20. श्री चन्द्र किशोर वैद्य, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।

साप्ताहिक समीक्षा बैठक में महत्वाकांक्षी एवं प्राथमिकता आधारित कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रगति की समीक्षा के पूर्व दिनांक 25.01.2014 को पोलो मैदान में मनाए गए “राष्ट्रीय मतदाता दिवस” का प्रतिवेदन एवं विडियो/छायाचित्र विभाग को भेजने का निदेश उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को दिया गया। साथ ही इण्डोर स्टेडियम में बनाए गए ई0वी0एम0 स्ट्रॉंग रूम का अद्यतन प्रतिवेदन भी विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिए गए :-

1. जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि अल्लसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर को विभागीय निदेशानुसार सभी संबंधित संचिकाओं का पूर्ण प्रभार, उनके प्रशिक्षण समाप्त होते ही सौंपना सुनिश्चित करें।
2. श्री वीरेन्द्र कुमार, वरीय उपसमाहर्ता, मुंगेर को निदेश दिया गया कि अधोहस्ताक्षरी के आदेश ज्ञापांक 200/गो0, दिनांक 27.01.2014 द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण के मद्देनजर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, जमालपुर का पूर्ण प्रभार आज ही लेते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँ।
3. प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 482, दिनांक 24.01.2014 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को दिनांक 01.02.2014 से प्रभावी किए जाने के निमित्त SECC के डी-फाईल के आधार पर सभी लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निदेश प्रदत्त है एवं किसी कारणवश छूटे हुए पात्र परिवारों का नाम RTPS या अन्य उचित प्रक्रिया अपनाकर उनका नाम सूची में जोड़कर राशन कार्ड मुहैया कराने का निदेश दिया गया है। इस परिपेक्ष्य में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर, निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर संयुक्त रूप से उपरोक्त निदेश के अनुपालन हेतु SECC के डाटा के आधार पर एक पंचायत के पांच EB में राशन कार्ड वितरण दिनांक 01.02.2014 को करवाना सुनिश्चित करें।
4. वर्तमान में नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि यातायात की सुदृढ़ व्यवस्था एवं अवैध परिचालन की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए अभियान चलाकर

बड़े/छोटे वाहनों की गहन चेकिंग की जाए। साथ ही Bihar Motor Vehicle Taxation Act/Rules के प्रावधनों के अन्तर्गत प्रपत्र L1 का एक-एक Volume सभी अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएँ ताकि वे उक्त नियमानुकूल प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर अवैध एवं Tax defaulters वाहनों की जाँच एवं दण्ड अधिरोपित कर इनका परिचालन पर पूर्णतया रोक लगा सकें। जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर एवं मोटरयान निरीक्षक, मुंगेर भी सघन जाँच करें।

5. निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर को निदेश दिया गया कि SECC अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले कार्यों की नियमित समीक्षा हेतु प्रखंडवार नामित किए गए नोडल पदाधिकारियों से साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करें एवं प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँगे ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
6. निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर को निदेश दिया गया कि अबतक विहित प्रपत्र में प्राप्त हुए दावे/आपत्तियों को जांचोपरानत प्रविष्टि COTS Software में करते हुए अंतिम रूप दिया जाए इन सभी कार्यों का दैनिक समीक्षा उप विकास आयुक्त भी स्वयं अनुश्रवण करते हुए प्रगति प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँगे।
7. प्रखंड/अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्ता-सह-नोडल पदाधिकारी (Mentor) को ही SECC अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अपीलों की सुनवाई हेतु अपीलीय पदाधिकारी नामित किया गया है। इस हेतु इन्हें क्षेत्र भ्रमण के दौरान SECC के कार्यों की विशेष समीक्षा करने का निदेश दिया गया।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर अतिक्रमणमुक्त कराए गए बस पड़ाव एवं अन्य स्थानों की साफ-सफाई नियमित रूप से कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएँगे।
9. **RTPS :-** लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत **“तत्काल सेवा”** एवं RTPS के सफल संचालन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को भी निम्न निदेश दिए जाते हैं :-
 - आर0टी0पी0एस0 अधिनियम के अन्तर्गत जिन कर्मियों पर दण्ड स्वरूप राशि की अधिरोपित की गई है, उनसे शत-प्रतिशत राशि की वसूली सुनिश्चित कर प्रतिवेदन समर्पित की जाए।
 - नोडल पदाधिकारी (Mentor) RTPS काउण्टरों के आस-पास दलाली व्यवस्था पूर्णरूपेण बंद करने हेतु कार्यालय खुलने के समय तथा बंद होने के पूर्व औचक निरीक्षण कर दलालों को पकड़कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
 - आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर सभी RTPS स्थलों का नियमित भ्रमण करेंगे तथा बैकलॉग सुधारने हेतु यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
10. नोडल पदाधिकारी (Mentor), जमालपुर प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय को निदेश दिया गया कि वर्तमान में कार्यरत् प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय को गंगा पम्प नहर सिंचाई प्रमंडल के परिसर में स्थानान्तरित करने की अद्यतन जानकारी से अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब अवगत कराया जाए।
11. उप विकास आयुक्त, निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर, निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि मनरेगा दिवस के दौरान पंचायतों में कार्यान्वित योजनाओं की जांच हेतु प्रतिनियुक्त जांच पदाधिकारी द्वारा दिए जाने वाले जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित अभिलेख, मापी पुस्तिका एवं पंचायत रोकड़ पंजी के आधार पर विस्तृत जांच कर दोषी कर्मी/व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
12. नोडल पदाधिकारी (Mentor) को निदेश दिया गया कि क्षेत्र भ्रमण/कार्यालय निरीक्षण एवं साप्ताहिक प्रखंड स्तरीय बैठकों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद की राशि बारम्बार निदेश के बावजूद अधिकतम राशि समायोजित नहीं करने वाले कम-से-कम एक पंचायत सेवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को नहीं दिया है। यह अत्यन्त ही दुःखद है। अतः इसका अनुपालन अविलम्ब कर प्रस्ताव दें।
13. नोडल पदाधिकारी (Mentor) यह भी प्रतिवेदित करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा मद से प्रखंडों को उपलब्ध कराए गए धोती, साड़ी एवं कम्बल का उठाव कर शत-प्रतिशत वितरण अहर्तित लाभुकों के बीच किया गया है अथवा नहीं। वितरण कर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एक सप्ताह में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजें।

पूर्व साप्ताहिक बैठकों में प्रदत्त निदेशों के अनुपालन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिए गए जिसका सारांश निम्न है :-

14. जिले में प्रा0स्वा0के0/अति0प्रा0स्वा0के0/आंगनबाड़ी केन्द्र/कला भवन/सामुदायिक भवन/पंचायत सरकार भवन/विद्यालय भवन/प्रखंड-सह-अंचल भवन/थाना भवन/लैंड बैंक/मनरेगा भवन इत्यादि के लिए भूमि उपलब्धता हेतु भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
15. पूर्व बैठक में प्रदत्त निदेश के आलोक में सहायक निदेशक सामाजिक, सुरक्षा, मुंगेर व्यक्तिगत रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि के वितरण कार्यक्रम एवं सभी प्रकार की गतिविधियों की वास्तविक समीक्षा करने हेतु सभी प्रखंडों का स्थलीय निरीक्षण कर संभावित त्रुटियों/कमियों का निराकरण कराएँगे। उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है। अतः पूर्व प्रदत्त निदेश का अनुपालन हरहाल में किया जाए तथा स्थलीय निरीक्षण के दौरान यह विशेष समीक्षा की जाए कि किन पंचायत सचिवों के पास सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि समायोजन हेतु अभी भी लंबित है। तत्पश्चात् उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।
16. यह सर्वविदित है कि दाखिल-खारिज मामलों के अपीलीय प्राधिकार भूमि सुधार उपसमाहर्ता होते हैं, परन्तु किसी भी भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा कालबाधित (Time Bond) आवेदन पत्रों के मामले में दण्ड स्वरूप कोई राशि वसूल नहीं की जा रही है। अतएव निदेश दिया गया कि कालबाधित (Time Bond) दाखिल-खारिज आवेदन पत्रों की समीक्षा करते हुए RTPS प्रावधानानुसार दण्ड अधिरोपित करने एवं राशि वसूलने की कार्रवाई करेंगे।
17. भू-अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन अन्तर्गत विभागीय प्रपत्र-2 (रैयत का स्वघोषणा), प्रपत्र-3 (राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन) एवं प्रपत्र-4 (वैसे रैयत जिनके जमीन का सत्यापन नहीं हो पाया है), की भी जांच वरीय पदाधिकारी (Mentor) एवं अन्य टी0एच0आर0 दिवस एवं मनरेगा दिवस में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी करेंगे।
18. कबीर अन्येष्टि योजना एवं पारिवारिक लाभ योजना में प्रखंडों को उपावंटित राशि के विरुद्ध वितरण की स्थिति की भी जांच वरीय पदाधिकारी (Mentor) सुनिश्चित करेंगे।
19. निर्वाचन कार्यों का अनुश्रवण प्रखंड स्तर पर वरीय पदाधिकारी (Mentor) नियमित रूप से करेंगे।
20. टी0एच0आर0 एवं मनरेगा दिवस में जांच हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उपरोक्त दिवसों में विद्यालय/कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय/उत्प्रेरण केन्द्र/आंगनबाड़ी में संचालित मध्याह्न भोजन योजना/कन्या विवाह योजना/ सामाजिक सुरक्षा पेंशन/BRGF, 13वाँ वित्त आयोग, चतुर्थ वित्त आयोग, एकीकृत कार्य योजना (IAP), आपकी सरकार आपके द्वार इत्यादि की भी जांच अवश्य करें तथा अधोहस्ताक्षरी को वास्तविक वस्तुस्थिति संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध करायें ताकि दोषी कर्मियों/व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।
15. पूर्व सम्पन्न बैठक में निर्णित निदेश, यथा- प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्ता की अध्यक्षता में प्रत्येक सप्ताह वृहस्पतिवार को प्रखंड-सह-अंचल स्तरीय बैठक का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी की उपस्थिति में करेंगे जिसमें विशेषकर RTPS काउण्टर, कैशबुक का अद्यतन संधारण, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति, साईकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार वितरण, AC, DC बिल, स्वास्थ्यपरक योजना, हत्का कर्मचारी के कार्यों इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं की गहन समीक्षा करेंगे। इसी आलोक में आयुक्त, मुंगेर, प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 2388/वि0, दिनांक 31.05.13 के अनुरूप प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्ता (Mentor) को निदेश दिया गया था कि वे कम-से-कम एक दिन तत्काल साप्ताहिक बैठकों में निर्धारित तिथि वृहस्पतिवार को समीक्षा के लिए प्रखंड-सह-अंचल जाएँगे तथा समीक्षा कर एक प्रतिवेदन दूसरे दिन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएँगे। परन्तु इसका शत-प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है। अतएव पुनश्च निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक वृहस्पतिवार को उक्त बैठक का आयोजन अपनी अध्यक्षता में करते हुए बैठक की कार्यवाही की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को बैठक के दो दिन पश्चात् निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे अपने कर्तव्य के प्रति तत्पर एवं कार्यकुशल नहीं हैं। सहजता हेतु उक्त बैठक में गहन समीक्षा हेतु निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख पुनश्च किया जाता है :-

- लोक सेवा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सेवावार वितरण पंजी के अद्यतन संधारण एवं प्रावधानानुसार कार्य संपादन की जाँच करना।
 - सामाजिक सुरक्षा पेंशन अन्तर्गत प्रखंड/पंचायत स्तरीय कर्मियों द्वारा अग्रिम राशि प्राप्ति के पश्चात् विपत्र समर्पित न कर अपने पास ही रखे हुए हैं, जो गबन का मामला बनता है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले परिलक्षित होने पर निरीक्षण टिप्पणी में अंकित करते हुए दोषी पदाधिकारी/कर्मियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव देना।
 - जैसे पेंशनधारी, जिन्हें पूर्व में डाकघर के माध्यम से पेंशन की राशि का भुगतान होता था, परन्तु वर्तमान में किन्हीं कारणों से इन्हें पेंशन भुगतान नहीं हो रहा है तो ऐसे लाभुकों को पोस्ट ऑफिस के खाता संख्या/PPO संख्या के आधार पर वितरण पंजी के माध्यम से अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उचित पहचान कर भुगतान किया जाना।
 - बिहार शिक्षा परियोजना/सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यान्वित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा/जांच हेतु प्राथमिक/मध्य/उच्च विद्यालयों/कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय/उत्प्रेरण केन्द्र का भी स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना।
 - आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाओं, यथा-आंगनबाड़ी केन्द्र/भवन/केन्द्रों में कार्यान्वित योजनाओं/सेविका/सहायिका के कार्य/पोषाहार की स्थिति की गहन समीक्षा/स्थलीय निरीक्षण कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना।
 - विभिन्न स्रोतों से प्रायः ऐसी शिकायत प्राप्त होती रहती है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि स्वीकृत्योपरान्त अभी तक वितरित नहीं की गई है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले प्रकाश में आने पर तत्क्षण यथोचित कार्रवाई कर प्रतिवेदन देना।
16. विदित हो कि विभाग द्वारा सरकारी भूमि (शहरी) का सर्वेक्षण कर अतिक्रमण पाए जाने पर उक्त भूमि को अतिक्रमणमुक्त करते हुए घेराबन्दी कराने का निदेश प्राप्त हुआ है, जिसके लिए अधियाचना प्राप्त कर आवश्यकतानुसार राशि की मांग की जानी है। इस कार्य के लिए शहरी क्षेत्रान्तर्गत अंचल अधिकारी, यथा-सदर, जमालपुर, तारापुर एवं खड़गपुर को निदेश दिया जाता है कि बिना अनुमति प्राप्त किए सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाते हुए भा0द0वि0 की धारा 107 का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे। साथ ही अतिक्रमणमुक्त सरकारी भूमि की घेराबन्दी हेतु अधियाचना अपर समाहर्ता, मुंगेर को उपलब्ध करायेंगे। इस कार्य का पर्यवेक्षण अपर समाहर्ता, मुंगेर विशेष तौर पर करेंगे।
17. प्रभारी वरीय उपसमाहर्ता, जिला विकास शाखा को निदेश दिया गया कि सभी मर्दों के लंबित ए0सी0 विपत्रों के लिए डी0सी0 विपत्र तैयार कर समायोजन हेतु महालेखाकार को भेजने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक.....२१२...../गो०,दिनांक.....२९/०१/२०१४.....

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/अपर समाहर्ता, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी शाखा/कार्यालयों के वरीय पदाधिकारी/जिला सूचना एवं जनसमपर्क पदाधिकारी, मुंगेर//आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।